न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 854 / 2023
अनवान : –

1. शिशपाल पुत्र रामसिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादी

2. रामनिवास पुत्र राम सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. कृष्ण लाल पुत्र खुबीराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. प्रेम प्रकाश जांगिड़ पुत्र खुबी राम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. महेश कुमार पुत्र खुबीराम जांगिड़ जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
6. अमित कुमार सुथार पुत्र झावर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
7. सुमित कुमार सुथार पुत्र झाबर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. संजीव जांगिड़ पुत्र राजेंद्र प्रसाद जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
9. विकास कुमार सुथार पुत्र भूप सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/01/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 265 / 366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से 13633 / 17048 हिस्सा भूमि मृतक हेतराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के दादा हेतराम पुत्र धन्नाराम का दिनांक 09.05.2021 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के दादा ने अपने जीवन काल में दिनांक 09.05.2014 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 265 / 366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से हेतराम के नाम दर्ज 13633 / 17048 हिस्सा भूमि में से 1 / 5 हिस्सा [illegible] 2.7266 है0 अपने पौत्र कृष्ण कुमार, महेश कुमार, महेश कुमार पि0 खुबीराम जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1 / 5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र रामनिवास, शिशपाल पि0 रामसिंह जाति खाती निवासी लाखासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र अमित कुमार, सुमित कुमार पि0 झावर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र संजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी लाखासर के एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र विकास कुमार पुत्र. भूपसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वादी के दादा हेतराम पुत्र धन्नाराम की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवास के साथ दो गवाह रामसिंह पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर व खुबीराम पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगूठा किया था वसीयत मजमून डीड राईटर संजीव गोड़ नोहर द्वारा तैयार करवाया गया था और उक्त वसीयत उप पंजीयन अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 09.05.2014 को पंजीकृत है।

वयीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन आदि नहीं है तथा वसीयतकर्ता हेतराम पुत्र धन्नाराम के देहान्त के बाद मुताबिक वसीयत वसीयतग्रहरण कर्ता काबिज चले आ रहा है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक वसीयत दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री रामसिंह पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर व खुबीराम पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर ने सशपथ बययान दिये की हेताराम पुत्र धन्नाराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर ने उक्त भूमि बाबत दिनांक 09.05.2014 को वसीयत करवायी थी उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हमारे सामने अंगूठा/हस्ताक्षर किये थे। वसीयतकर्ता ने बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवाश में मेरे सामने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान वसीयत पर लगाये। गवाहान के बयान बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मूल वसीयम प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र हेतराम प्रदर्श–2, जमाबंदी रोही मौजा लाखसर खाता संख्या 265 प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र [illegible] साक्ष्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से 13633/17048 हिस्सा भूमि मृतक हेतराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड। वादी के दादा हेतराम पुत्र धन्नाराम का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2021 को हो चुका है वादी के दादा ने अपने जीवन काल में दिनांक 09.05.2014 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से हेतराम के नाम दर्ज 13633/17048 हिस्सा भूमि में से 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र कृष्ण कुमार, महेश कुमार, महेश कुमार पि0 खुबीराम जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र रामनिवास, शिशपाल पि0 रामसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र अमित कुमार, सुमित कुमार पि0 झावर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र संजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी लाखासर के एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र विकास कुमार पुत्र. भूपसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वादी के की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो वसीयत के गवाहान श्री रामसिंह पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर व खुबीराम पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर की उपस्थिति में उक्त भूमि बाबत दिनांक 09.05.2014 को वसीयत करवायी थी उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हमारे सामने अंगूठा/हस्ताक्षर किये थे। वसीयत के गवाहान के बयान लिये गये जो की बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 को तर्क अंकित किया। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से 13633/17048 हिस्सा भूमि मृतक हेतराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र हेतराम से साबित है कि हेतराम पुत्र धन्नाराम का दिनांक 09.05.2021 को देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयत से साबित है कि हेतराम पुत्र धन्नराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 09.05.2014 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से हेतराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

13633/17048 हिस्सा भूमि में से 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र कृष्ण कुमार, महेश कुमार, महेश कुमार पि0 खुबीराम जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र रामनिवास, शिशपाल पि0 रामसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र अमित कुमार, सुमित कुमार पि0 झावर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब0 हि0 ब0 एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र संजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी लाखासर के एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है0 अपने पौत्र विकास कुमार पुत्र. भूपसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वसीयत के गवाहन श्री रामसिंह पुत्र हेतराम व खुबीराम पुत्र हेतराम ने सशपथ बयान किये की हेतराम ने दिनांक 09.05.2014 को उक्त वाद भूमि की वसीयत करवायी थी। वसीयतकर्ता ने बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवाश में मेरे सामने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान वसीयत पर लगाये थे। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से 13633/17048 हिस्सा भूमि मृतक हेतराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे हेतराम पुत्र धन्नाराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के एवं 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बहिब एवं 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 को बहिब तथा 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 तथा 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:01 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 854/2023

अनवान : –

1. शिशपाल पुत्र रामसिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादी

2. रामनिवास पुत्र राम सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. कृष्ण लाल पुत्र खुबीराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. प्रेम प्रकाश जांगिड़ पुत्र खुबी राम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. महेश कुमार पुत्र खुबीराम जांगिड़ जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
6. अमित कुमार सुथार पुत्र झावर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
7. सुमित कुमार सुथार पुत्र झाबर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. संजीव जांगिड़ पुत्र राजेंद्र प्रसाद जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।
9. विकास कुमार सुथार पुत्र भूप सिंह जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 854 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है0 भूमि में से 13633/17048 हिस्सा भूमि मृतक हेतराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे हेतराम पुत्र धन्नाराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के एवं 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बहिब एवं 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 को बहिब तथा 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 तथा 1/5 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:01 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर